जांच सूची क्रमांक 19 – कोस्टिंग वेसल्स अधिनियम, 1838 के अंतर्गत डम्ब बार्जों का पंजीकरण

(पृष्ठ 1 का 1)

क्र.सं.	**आवश्यकताएं**	**हां/नहीं**
1	नाम के लिए आवेदन (3 विकल्पों के साथ हिंदी अनुवाद सहित) और आधिकारिक संख्या प्रस्तुत करनी होगी।	
2	नाम और आधिकारिक संख्या आवंटित होने के बाद, जहाज पर नक्काशी और अंकन (नाम और आधिकारिक संख्या) करना होगा। यह सर्वेयर द्वारा सत्यापित किया जाएगा (मालिक के अनुरोध पर)।	

पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं:

| 3 | कंपनी का मूल बोर्ड प्रस्ताव (कंपनी सचिव या दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित) / साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र / व्यक्तिगत स्वामी के लिए पहचान योग्य गवाह के साथ पत्र, जिसमें पोत की प्रस्तावित खरीद का उल्लेख हो और स्वामित्व की घोषणा पर हस्ताक्षर हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत किया गया हो। **(नोट: बोर्ड प्रस्ताव पर कॉमन सील आवश्यक नहीं है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल ऑफ सेल आदि जैसे कार्यों के लिए कॉमन सील आवश्यक है)** | |

| 4 | स्वामित्व की घोषणा (संलग्न प्रारूपानुसार), जो अधिकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष हस्ताक्षरित होनी चाहिए। | |

| 5 | यदि स्वामी व्यक्तिगत है, तो उसकी नागरिकता / यदि अधिकृत व्यक्ति है, तो उसकी नागरिकता (घोषणा करते समय आधार कार्ड और पासपोर्ट की मूल प्रति लाना आवश्यक है)। | |

| 6 | फर्म की मूल साझेदारी विलेख (जांच के बाद लौटाई जाएगी) / कंपनी के ज्ञापन और उपविधियाँ, जो भी लागू हों। | |

| 7 | पोत खरीदने के लिए 'समझौता ज्ञापन' की प्रति (यदि सेकंड हैंड है) / शिप बिल्डिंग अनुबंध की प्रति जिसमें मूल्य हो (यदि नया है)। | |

| 8 | बिल ऑफ सेल की मूल प्रति (कॉमन सील सहित/समकक्ष) और डिलीवरी स्थान पर भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणीकरण (यदि सेकंड हैंड)। | |

| 9 | a) नए जहाज के लिए बिल्डर का प्रमाणपत्र (कॉमन सील सहित/समकक्ष) / b) पुरानी जहाज के लिए पूर्व ध्वज का विलोपन प्रमाणपत्र। | |

| 10 | स्वीकृत टनेज गणनाएं / 1969 कन्वेंशन के अंतर्गत जारी टनेज प्रमाणपत्र की प्रति। (यदि उपलब्ध नहीं, तो नई गणनाएं करवाई जाएंगी व एमएमडी/आईआरएस द्वारा सत्यापन किया जाएगा)। | |

| 11 | जहाज की पहचान दर्शाने वाला 'सर्वे प्रमाणपत्र' (यदि लागू हो) अधिकृत सर्वेयर द्वारा प्रमाणित। (नोट:

सामान्यतः विभाग द्वारा जारी किया जाता है)। | |

| 12 | जहाज के योजनाएं (ड्राइंग्स): सामान्य व्यवस्था, मध्य भाग खंड, यात्री आवास योजना। | |

| 13 | a) IRS / IACS द्वारा जारी वैध लोड लाइन प्रमाणपत्र (यदि लंबाई > 24 मीटर)

b) यदि लंबाई < 24 मीटर, तो वैध क्लास प्रमाणपत्र

c) यदि बिना क्लास के निर्मित है, तो "कंडीशन असेसमेंट सर्टिफिकेट" प्राप्त करना आवश्यक। | |

| 14 | ट्रिम एवं स्थायित्व पुस्तिका: भारत में निर्मित हो तो IRS द्वारा / विदेश में निर्मित हो तो IACS द्वारा अनुमोदित। | |

| 15 | यदि पोत 400 जीटी से अधिक है और इंजन/मशीनरी से युक्त है, तो RO द्वारा जारी IOPP प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। | |

| 16 | आवास योजना ड्राइंग प्रस्तुत करें। (कंटेनरों जैसे अस्थायी आवास की अनुमति नहीं है)। जीवनरक्षक और अग्निशमन उपकरणों का उपयुक्त व्यवस्था हो। | |

| 17 | 12 से अधिक यात्रियों के लिए आवासीय बार्ज हेतु "स्पेशल पर्पस शिप्स कोड" के अंतर्गत अनुपालन प्रमाणपत्र आवश्यक है। | |

| 18 | IRS द्वारा जारी यह पत्र कि पोत पूर्ण रूप से निर्मित है और संचालन हेतु तैयार है। | |

| 19 | भारत कोश भुगतान की रसीद। | |

टिप्पणियाँ:

a) कोस्टल वेसल्स अधिनियम के तहत पंजीकृत जहाजों के लिए गिरवीकरण (Mortgage) पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

b) पंजीकरण के बाद संचालन हेतु वैध लोड लाइन प्रमाणपत्र आवश्यक है।

c) यदि पोत आवासीय बार्ज है, तो एसपीएस कोड के अनुसार प्रमाणन आवश्यक है और निम्नलिखित दस्तावेजों को डीजीएस/एमएमडी से अनुमोदन लेना होगा:

i) डैमेज स्टैबिलिटी ii) मैन्ड टो iii) आवास योजना iv) संरचनात्मक अग्नि सुरक्षा योजना v) जीवनरक्षक उपकरण योजना vi) अग्नि नियंत्रण योजना vii) SOPEP योजना

d) यदि पोत में 15 से अधिक व्यक्ति हैं, तो सीवेज प्रबंधन योजना और यदि 300 जीटी से अधिक है, तो कचरा प्रबंधन योजना आवश्यक है।